50 ① 50

BEFORE THE HON'BLE REVENUE BOARD, APPELLATE AUTHORITY GWALIOR (MP)

IN THE MATTER OF APPEAL NO. /2017

PBR/अपील/राजगढ़/आ.अ./2017/4604

M/S. VINDHYACHAL DISTILLERIES PVT. LTD.
PEELUKHEDI, TEHSIL NARSINGHARH,
DISTRICT RAJGARH (MP)
THROUGH ITS MANAGING DIRECTOR
SHRI SANJEEV KHANNA,
269, 270, M.P. NAGAR, ZONE-II,
BHOPAL-462 011 ---- **APPELLANT**

VERSUS

STATE OF MADHYA PRADESH,
THROUGH THE COMMISSIONER EXCISE,
MOTI MAHAL,
GWALIOR (MP) ---- **RESPONDENT**

रविन्द्र शर्मा, अभि.
द्वारा आज दि. 22.11.17 को
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
22.11.17
L. दि. 06.12.17

APPEAL UNDER SECTION 62 (2) (C) OF THE M.P. EXCISE ACT, 1915 AGAINST THE ORDER DATED 09.06.2017 PASSED UNDER MADHYA PRADESH COUNTRY SPIRIT RULES, 1995

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/अपील/राजगढ/आ.अ./2017/4604

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-9-2018	अपीलार्थी कम्पनी द्वारा यह अपील मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 62 (2)-सी के अंतर्गत आबकारी आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर द्वारा पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)2017-18/2904 में पारित आदेश दिनांक 9-6-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी कम्पनी के जिला राजगढ़ के आसवनी परिसर में देशी मदिरा की बॉटलिंग कर उससे प्रदाय क्षेत्र में देशी मदिरा प्रदाय करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29-3-2014 से सी.एस. 1-बी अनुज्ञप्ति नवीनीकृत की गई थी । उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता भोपाल के प्रतिवेदन दिनांक 3-3-2015 के अनुसार अपीलार्थी कम्पनी द्वारा पीलूखेड़ी जिला राजगढ़ में स्थापित सी.एस. 1-बी देशी मदिरा बॉटलिंग इकाई में माह जनवरी, 2015 से मार्च 2015 तक रेक्टीफाइड स्प्रिट एवं बोतलबंद देशी मदिरा का निर्धारित न्यूनतम स्कंध विभिन्न तिथियों पर नहीं रखा गया है, जबकि देशी स्प्रिट नियम 4(4) के अनुसार सी.एस. 1-बी देशी मदिरा बॉटलिंग इकाई में विगत माह के रेक्टीफाइड स्प्रिट 7 दिन एवं भरी हुई बोतलों का संग्रह 5 दिन के औसत प्रदाय के समतुल्य रखना अनिवार्य है । अपीलार्थी कम्पनी द्वारा की गई अनियमितता के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया । अपीलार्थी का उत्तर समाधानकारक नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय ने पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)2017-18/2904 में दिनांक 9-6-2017 को आदेश पारित कर अपीलार्थी कम्पनी द्वारा म.प्र. देशी स्प्रिट नियम, 1995 के नियम 4(4) का उल्लंघन किये जाने से नियम 12(1) के अंतर्गत दण्डनीय होने के आधार पर अपीलार्थी कम्पनी पर रूपये 20,000/- शास्ति अधिरोपित करने के साथ ही प्रदाय संविदाकार पर सी.एस. 1-बी देशी मदिरा बॉटलिंग इकाई में माह जनवरी 2015 से मार्च 2015 तक की अवधि में	

90 दिवस रेक्टीफाइड स्प्रिट का तथा 89 दिवस बोतलबंद मदिरा का निर्धारित न्यूनतम स्कंध नहीं रखे जाने के कारण रूपये 100/- प्रतिदिन के मान से रूपये 17,900/- इस प्रकार कुल रूपये 37,900/- की शास्ति अधिरोपित की गई । आबकारी आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थी कम्पनी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर दिये बिना ही आलोच्य आदेश पारित किया गया है, जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है । यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी की ओर से प्रस्तुत कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर समाधानकारक नहीं मानने में भूल की गई है, क्योंकि अपीलार्थी द्वारा कोई अनियमितता नहीं की गई है, जिससे व्यवस्था सकुशल रही है । तर्क में यह भी कहा गया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा म.प्र. देशी स्प्रिट नियम, 1995 के नियम 4(4) व लायसेंस की शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में नियम 12(1) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि कि राज्य शासन को क्या हानि हुई, इसे सिद्ध करने का प्रमाण भार राज्य शासन पर था, जो कि उनके द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है । अतः प्रमाण भार के अभाव में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है । अंत में तर्क प्रस्तुत अपीलार्थी कम्पनी द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का जो जवाब प्रस्तुत किया गया था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन पर कोई विचार नहीं किया गया है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश नितान्त अवैध, अनुचित एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ प्रत्यर्थी शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा नियम एवं लायसेंस की शर्त का स्पष्टतः उल्लंघन है । अतः अपीलार्थी कम्पनी के उक्त कृत्य के लिए शास्ति अधिरोपित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा आसवनी

परिसर; पीलूखेड़ी जिला राजगढ़ में स्थापित सी.एस. 1-बी देशी मदिरा बॉटलिंग इकाई में माह जनवरी 2015 से मार्च 2015 तक की अवधि में 90 दिवस रेक्टीफाइड स्प्रिट का तथा 89 दिवस बोतलबंद मदिरा का निर्धारित न्यूनतम स्कंघ नहीं रखा गया है, जबकि देशी स्प्रिट नियम 4(4) के अनुसार सी.एस. 1-बी देशी मदिरा बॉटलिंग इकाई में विगत माह के रेक्टीफाइड स्प्रिट 7 दिन एवं भरी हुई बोतलों का संग्रह 5 दिन के औसत प्रदाय के समतुल्य रखना अनिवार्य है । अत: अपीलार्थी कम्पनी द्वारा की गई उक्त अनियमितता के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी से उत्तर प्राप्त किया गया है, जिस पर अपीलार्थी कम्पनी का उत्तर समाधानकारक नहीं होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी पर जो शास्ति अधिरोपित की गई है, वह उचित है । अत: इस संबंध में अपीलार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है । दर्शित परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 9-6-2017 उचित होने से स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

अध्यक्ष